भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4880
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना
4880. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत गठित इनकी कुल संख्या कितनी है और योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इन एफपीओ का छोटे और सीमांत किसानों की आय और बाजार तक इनकी पहुंच पर क्या प्रभाव है और मूल्य वसूली और आदान बचत के विशिष्ठ आंकड़े क्या हैं;
(ग) बाजार प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना और वित्तीय बाधाओं के संबंध में एफपीओ के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) छोटे किसानों को खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में एफपीओ की भूमिका क्या है और ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसानों की भागीदारी में वृद्धि के आंकड़े क्या हैं; और
(ङ) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु और अन्य कृषि राज्यों में एफपीओ को और अधिक प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन की स्कीम के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को पंजीकृत किया गया है। दिनांक 28.02.2025 तक इस योजना के तहत एफपीओ प्रबंधन लागत के रूप में 590.8 करोड़ रुपये और मैचिंग इक्विटी अनुदान के रूप में 280.3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । 2094 एफपीओ को 483.58 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी जारी की गई है। योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अभी किया जाना है।

(ग) से (ड.): एफपीओ के सामने क्षमता निर्माण और बाजारों तक पहुंच की चुनौतियां हैं, जिन्हें स्कीम के तहत संबोधित किया जा रहा है। 10,000 एफपीओ स्कीम के तहत, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) एफपीओ की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खरीदारों/प्रसंस्करणकर्ताओं आदि के साथ बाजार संपर्क के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं । एफपीओ को व्यापक क्षेत्र तक पहुंच बनाने के लिए स्थानीय बाजारों के बाहर उपलब्ध विभिन्न विपणन अवसरों से अवगत कराया जाता है। एफपीओ को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफार्मों पर शामिल करने के लिए सहयोग दिया गया है। अब तक 7901 एफपीओ ओएनडीसी और 216 एफपीओ जीईएम पोर्टल पर शामिल हो चुके हैं। 4392 एफपीओ ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर शामिल हो चुके हैं। एफपीओ को खरीदारों से सीधे जुड़ने और अपनी उपज और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की भी सुविधा दी जाती है।

एफपीओ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), कृषि विकास जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम), एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

2698 एफपीओ ने प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू कर दिया है। तमिलनाडु राज्य में 465 एफपीओ पंजीकृत हैं। एफपीओ को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

****